# पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

## विलेज प्रोफाइल

# देवली

**गाँव- देवली**

**पंचायत - पालमाण्डव**

**तहसील-दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान**

**पीस**

**गाँव का इतिहास**

गाँव के लोगो ने गाँव के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि पहले पूर्वज पाल मांडव में रहते थे। इसके बाद एक नया तालाब बनाया गया जिसके बाद वे तालाब के पास आकर बस गए। इस तालाब का नाम देवली था जिसके नाम से गाँव का नाम देवली पड़ा।

**देवली गाँव का परिचय**

देवली गाँव जिला कार्यालय डूंगरपुर से 26 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। देवली गाँव पालमाण्डव ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है । पालमाण्डव पंचायत में पांच राजस्व गाँव है - देवली, दरा, खांडा, पालमाण्डव, हडमतिया । देवली गाँव में 6 फलें है-

1. आमलिया पनिदरा
2. देवली खास
3. माताटेबा कटाला
4. रेशवाली फला
5. सिरा फला
6. सेबलवा फला

देवली गाँव में शिलालेख 27 अगस्त 2017 को हुआ और गाँव सभा का गठन भी उसी दिन कर दिया गया । देवली गाँव में 140 घर है जिनकी आबादी लगभग 800 है । गाँव में एस. टी. के अलावा और किसी भी जाति के लोग नहीं रहते है । एस.टी. जाति में परमार, कटारा, अहारी उपजाति के लोग प्रमुख है । गाँव में अभी पेसा कानून की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है क्योंकि गाँव के अधिकतर शिक्षित लोग गाँव से बाहर काम की तलाश में चले गये है । हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । जिसमे गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है । अक्सर पंचायत के सभी गाँव मिलकर पंचायत स्तरीय मीटिंग भी करते है ।

गाँव की पूरी जमीन का रकबा 295 हेक्ट है । जिसमें कृषि योग्य जमीन 60 हेक्ट है तथा बेनामी जमीन 136 हेक्ट, चरागाह 6 हेक्ट और जंगल 76 हेक्ट है । गाँव के जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है । गाँव के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में क्रमशः तालाब, जंगल, पहाड़, नाले, 4 मंदिर, 1 प्रा. स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान, एनिकट, 20 कुआ, 16 हैंडपंप, 15 बिजली डीपी, आंगनवाडी, वन चौकी, 1 शमशान घाट है ।

**आवागमन की स्थिति**

गाँव के भीतर से एक पक्की सड़क डोलवर निचली से दामड़ी में निकल जाती है और दूसरी सड़क देवली से भाटड़ा जाती है । गाँव के ज्यादातर घर पक्की सड़क के साथ ही है इसलिए आवागमन के लिए आसानी से ऑटो, जीप  मिल जाते है । सड़को की व्यवस्था अच्छी होने के कारण दूसरे गाँव में जाने में

आसानी होती है लेकिन गाँव के अंदरूनी फलों में कच्ची ग्रेवल सड़क बारिश के मौसम में समस्या पैदा करते है । खरीदारी के लिए बड़ा बाजार पुनाली 10 किमी तथा डूंगरपुर 26 किमी दूर जाना पड़ता है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

**स्वास्थय व शिक्षा**

गाँव में केवल एक प्राइमरी विद्यालय है। जिसमे 50 छात्र और 2 अध्यापक है । प्राथमिक विद्यालय की हालत ठीक नहीं है । विद्यालय में पीने के शुद्ध पानी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है । विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी है दो कक्षाओं कों एक साथ बैठा कर पढाया जाता है । क्योंकि सभी विषयों के अध्यापक नहीं है । उच्च शिक्षा के लिये 26 किमी दूर डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे यही कमरा किराये पर लेकर रहते है या हॉस्टल में रहते है ।

गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है। बडा हॉस्पीटल 26 किमी दूर डूंगरपुर में है। जहाँ के लिए 108 या 104 की सुविधा मिल जाती है । पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल 8 किमी दूर पालमाण्डव में है।

**कृषि और रोजगार की स्थिति**

गाँव में कृषि योग्य जमीन 60 हेक्ट ही है, जिसपर गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की खेती की जाती है। लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। रोजगार के नाम पर मनरेगा और खेती है । नरेगा में गाँव की 80 प्रतिशत महिलाये जाती है । गाँव में काम नहीं मिलने पर लोग कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। दोवडा गाँव से 2 लोग अलग अलग सरकारी विभागों ( सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग ) में कर्मचारी है ।

**सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति**

सिंचाई के पानी के लिए नदी, तालाब, कुआँ, नाला की सुविधा है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में नदी और नाले में पानी सूख जाता है । कूओ और बोरवेल में भी पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और इनमे पानी की कमी हो जाती है । इसके अलावा 2 एनिकट है जिनकी स्थिति तो अच्छी है लेकिन पानी ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है ।

**चारागाह जमीन एवं पहाड़**

गाँव में 6 हेक्ट चरागाह जमीन है जिस पर सरकार का कब्ज़ा है । गाँव में पहाड़ तो है लेकिन उसमे किसी भी प्रकार के खनिज की जानकारी गाँव के लोगो को नहीं है ।

**देवली गाँव की प्रमुख चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न् प्रकार है-**

**प्राकृतिक संसाधनों का विघटन**

गाँव में जंगल 76 हेक्ट में फैला हुआ है उसमें सागवान, बबूल और ढ़ाक के पेड़ है । लेकिन वन विभाग ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है, गाँव के लोगो को जंगल में घुसने नहीं दिया जाता है । जंगल और चारागाह जमीन पर गाँव ने अभी सामुदायिक दावा नहीं किया है ।

**आवागमन की समस्या**

गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए अधिकतर कच्ची सड़क ही है। जो काफी ज्यादा टूट गयी है। जिस पर मोटर साईकिल या पैदल ही जाया जा सकता है। धूल उड़ने की वजह से लोगो को साँस की तकलीफ होने लगी है । गाँव में सी.सी. सड़को की संख्या ज्यादा नहीं है उनमे भी खड्डों की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका रहती है। दूसरे गाँव में जाने के लिए ऑटो, जीप केवल मुख्य सड़क से ही मिलते है जिसके लिए फलों के लोगो को 2 से 3 किमी पैदल चलना पड़ता है ।

**भूमि व जल प्रबंधन की कमी**

गाँव में अधिकतर लोगों के पास अपने कब्जे की जमीन का पट्टा नहीं है । जिन लोगो को पट्टा या खातेदारी हक मिला है वो भी न्यूनतम कृषि भूमि दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा है, जो परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है । ज्यादातर खेत पहाड़ी ढलान वाले और उबड़-खाबड़ है जिन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है । पानी की कमी और असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश की पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है । गाँव में पानी की व्यवस्था के लिए 1 तालाब, 1 नाला है लेकिन गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। नाले में भी बारिश तक ही पानी रहता है । बारिश के पानी को रोकने के लिये 2 एनीकट है, लेकिन एनिकट की ऊंचाई कम होने के कारण ये गर्मीयों के मौसम में सूख जाते है । गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 20 कुएं, 16 हैंडपंप और निजी बोरवेल है, जिनमें साल के मई, जून माह तक पानी खत्म हो जाता है। लगभग 10 हैंडपंप और सभी कुएं गर्मी के मौसम में सूख जाते है। क्योंकि कुएं 150 फीट तक ही गहरे है । सभी हेण्डपम्प और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

वर्षा के जल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

**पशुपालन संबंधित समस्या**

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। गाँव में चरागाह की जमीन मात्र 6 हेक्ट है, जिस पर वन विभाग और सरकार का कब्ज़ा है । बारिश में चारागाह में होने वाली घास को काटने के लिए वन विभाग के द्वारा टी. पी. काटी जाती है, जिसमे 3 दिन चारा काटा जाता है । खेती में सिंचाई के पानी

की कमी के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जाता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पड़ता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरिदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 17000 रूपये में भूसे का ट्रक खरिदते है। पौष्टिक और पूर्ण आहार की कमी के कारण दुधारू पशु कम दूध देते है जो की घर भर के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है ।

**शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर**

गाँव में 140 घर है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए केवल एक प्राइमरी विद्यालय है, जिसमे 50 छात्र और 2 अध्यापक है । प्राथमिक विद्यालय की हालत ठीक नहीं है । विद्यालय में पीने के शुद्ध पानी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है । विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी है दो कक्षाओं कों एक साथ बैठ कर पढाया जाता है । क्योंकि सभी विषयों के अध्यापक नहीं है । दी जाने वाली शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है । गाँव के लोग शिक्षा से सम्बंधित इन सभी समस्याओं के लिए गाँव विकास प्रस्ताव में लिख कर पंचायत, बी.डी.ओ. कलेक्टर को दे चुके है । उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे यही पर किराये के कमरे में रहते है और कुछ रोजाना गाँव से आते-जाते है । गाँव की 1 आंगनवाडी जो देवली नाल फले में है । बडा हॉस्पीटल गाँव से 26 किमी दूर डूंगरपुर शहर में है जिसके लिये 108, 104, टेम्पो की सुविधा है।

**कृषि, खाद्यान्न और रोजगार की स्थिति**

गाँव में मक्का, उड़द, मूग, चना, और बोरवेल के पानी से धान और गेहूं पैदा करते हैं। जिनके पास समतल जमीन है और वह भी गेहूं और चना पैदा कर पाते है । गाँव में खेती मौसम पर निर्भर है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की कमी है । इसके साथ ही लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती की जमीन है। गाँव में समतल जमीन नहीं के बराबर है । बारिश के अलावा वे ही लोग फसल उगा पते है जिनके पास निजी बोरवेल है । पैदा होने वाला अनाज 4 से 6 महीने खाने भर का हो जाता है। खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती है कि परिवार की आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं हो पाती है । नरेगा में 100 दिवस काम नहीं मिलता है और 90 से 110 रु. मजदूरी मिलती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। जिसके लिये जवाब मांगने पर बैंक खातों के स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है। करीब 200 लोगो का श्रमिक कार्ड नहीं बना है। बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। जहाँ कड़िया काम मिल जाता है । जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

**गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-**

| संसाधन | हालत | सम्भावना |
|---|---|---|
| जल<br>नाला<br>नहर<br>एनिकट<br>तालाब<br>कुआं<br>हैण्डपम्प<br>बोरवेल | गाँव में एक नदी बहती है लेकिन उसका पानी बारिश के दो माह बाद ही सूख जाता है । गाँव में 1 नाला है। जो बारिश के मौसम में चालू रहता है । 2 एनीकट बने हुए है और वे सही स्थिति में है लेकिन ज्यादा गहरे नहीं है या मिटटी और कीचड़ से भर गये है । तालाब भी पाल टूटी होने से पानी रिस कर निकल जाता है । उसमे भी पानी बारिश के समय ही रहता है । गाँव में 20 कुएं और 16 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं रहता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गाँव में तालाब का पानी पशुओ के पीने में काम आता है लेकिन गर्मी समाप्त होने से पहले ही सभी में पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में मवेशीयों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है। | यदि तालाब के पैंदे से कीचड़ निकल कर गहरा किया जाये तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है इससे सिचाई भी पूरी हो सकती है और पशुओ के लिए पूरा पानी मिल जायेगा । पहाडियों के तेज़ ढलान में छोटे छोटे पक्के चेकडेम बनाये जाये तो तालाब और एनिकट में पानी अधिक समय तक रहेगा और भू जल का स्तर भी उपर उठेगा । इस प्रकार गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है।<br>गाँव में बरसात के पानी से कुएं रिचार्ज करके पीने के पानी का संकट दूर किया जा सकता है । बंद हैंडपंप को चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए ।<br>बोरवेल से एक बार में पानी निकलने के बजाय कुओं से पानी निकलना ताकि जल स्तर बना रहे । |
| **जमीन**<br>कृषि भूमि<br>बिला नाम भूमि<br>चरागाह<br>जंगल | गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव में चारागाह भी है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घासहोती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव के चारागाह, बिलानाम, जंगल पर वन विभाग और सरकारी कब्ज़ा है । | गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। पाईप लाइन की व्यवस्था करके सिंचाई की कमी पूरी हो सकती है ।<br>गाँव की बेकार पड़ी जमीन जिस पर किसी प्रकार की खेती या उपज नहीं होती है, को गाँवसभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के |

| | | |
|---|---|---|
| | | साधन बढ़ सकते हैं। गाँव के जंगल पर सामुदायिक वन दावा करके उसे गाँव सभा के अधीन करना और जंगल को पुनर्जीवित करके लघु वन उपज प्राप्त करना । |
| **सड़क**<br>कच्ची सड़क<br>सी.सी. सड़क<br>पक्की सड़क | गाँव की सी.सी. और कच्ची सड़कों की संख्या कम है, ज्यादातर पगडण्डिया है । सी. सी. सड़के टूट गयी है । घर पहाड़ियों पर है जिस कारण वहाँ केवल सी.सी. सड़के ही उपयोगी हो सकती है । | यदि गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़कों को चोड़ा करके पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी। |
| स्कूल | गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है । प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। स्कूल में खेल का मैदान नही है ना ही छात्र छात्राओ के लिए अलग-अलग शौचालय है । बच्चों कों पढ़ाने के लिए अध्यापक भी पूरे नहीं है कक्षा कक्ष की कमी है । | प्राइमरी स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा छात्र छात्राओ के लिए अलग-अलग शोचालय बनवाना । खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । शिक्षा अधिकारी से बात करके पूरे अध्यापक नियुक्त करवाना । |
| आंगनबाड़ी केंद्र | गाँव में 1 आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन इसकी छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है और फर्श भी टूट गयी है । | छत और फर्श की मरम्मत करवानी है । बच्चों के खेलने और आखर ज्ञान के लिए पूरी व्यवस्था करवाना । |

**गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता**

| क्र. सं. | समस्याएं | सार्वजनिक/ व्यक्तिगत | कारण | समाधान | तात्कालिक/ दीर्घकालिक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **शिक्षा सम्बंधित समस्या** | **सार्वजनिक** | गाँव में केवल 1 प्राथमिक स्कूल है, अध्यापक 2 ही है । प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है, खेल का मैदान और शौचालय की हालत सही नहीं है । जिस कारण अभिभावक भी बच्चों को | गाँव में एक प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था की जाये और सभी व्यवस्थाये पूरी दी जाये । सभी विषय के अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिये । | **तात्कालिक** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पढने के लिए दूसरे गाँव के स्कूलों में भेजते है | | |
| **2** | **पेयजल की समस्या** | **सार्वजनिक** | गाँव का जलस्तर 250 फिट से नीचे चला गया है। गाँव में जितने भी पेयजल के स्रोत है जैसे - कुएं, हैंडपंप, बोरवेल इन सभी का पानी गर्मी में सूख जाता है । इनका पानी फ्लोराइड से दूषित है जिससे गाँव वालों में हड्डियों की बीमारी और जोडों में दर्द की समस्या हो रही है । गाँव में एक भी शुद्ध पानी का आर.ओ. नहीं है । | जो हैंडपंप बंद हो गये है जिनमे पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में एनिकट और चेकडैम निर्माण करना और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है । | **दीर्घकालिक** |
| **3** | **कृषि संबधी समस्या** | **व्यक्तिगत / सार्वजनिक** | गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 2 एनिकट और 1 तालाब है लेकिन बोरवेल की संख्या अधिक होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है । उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है । | खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी तथा कच्चे चेकडैम का निर्माण । गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। घर और खेतों में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना । | **तात्कालिक** |
| **4** | **रास्ते की समस्या** | **सार्वजनिक** | गाँव की सी.सी. सड़कों की हालत तेज बारिश होने के कारण काफी ख़राब हो गयी है उसमे गड्डे हो गये है, ऐसी ही हालत | गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और टूटे हुए रास्तों को फिर से ठीक करना और | **तात्कालिक** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | कच्ची पगडण्डियों की है उनमे भी धूल और कीचड़ से हादसों की संभावना बनी रहती है । | कच्ची सड़क कों सी.सी. सड़क में बदलना । सड़क किनारे नालियों की व्यवस्था और रोड लाइट की व्यवस्था करना । | |
| 5 | **सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना** | **व्यक्तिगत** | गाँव में आवास योजना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गाँव में अधिकतर लाभान्वित लोगो को उनका आवास और शौचालय का पूरी राशि का भुगतान नहीं हुआ है । कुछ पात्र लोग अभी भी इस योजना से वंचित है क्योंकी यह कारण दिया जाता है की उनका नाम पात्रों की सूची में नहीं है । जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं । पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है या जीवित प्रमाण पत्र ना देने के कारण उनकी पेंशन बंद हो गयी है । | गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। | **तात्कालिक** |
| 6 | **काबिज भूमि और जंगल की जमीन पर दावा नहीं मिलना** | **सार्वजनिक** | गाँव में लोग कई पीढ़ियों से बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। वर्तमान में राजस्व | काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने | **दीर्घकालिक** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है। इनके पास अपने गाँव के जंगल, चारागाह, बिलानाम का भी पट्टा नहीं है । जिससे भविष्य में इस पर अन्य का कब्ज़ा हो सकता है । | से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना।<br>गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना। सामुदायिक दावा गाँव सभा द्वारा लगाया जाना है । | |
| **7** | **खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना** | **सार्वजनिक** | राशन की दुकान गाँव में ही है लेकिन डीलर उसे समय पर नहीं खोलता है और अनाज भी पूरा नहीं देता है । अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । | राशन डीलर को पाबंद कर समय पर दुकान खोलने और पूरा राशन दिलवान और जिन लोगों कों राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना । राशन की दुकान को ऐसे स्थान पर चेंज किया जाये जहाँ इंटरनेट की समस्या ना होवे । | **तात्कालिक** |

## संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

| **S- Strengths शक्तियां** | **W- Weakness कमजोरी** | **O- Opportunities अवसर** | **T- Threats चुनौतियां** |
|---|---|---|---|
| **आवागमन -** कच्चे रास्ते, सी.सी. | कच्चे रास्ते को सी.सी. नहीं करना। | कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क होने से गाँव के | गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सड़क, पक्की सड़कें | पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। सी.सी. सड़क को सही नहीं करवाना। रोड लाइट की मांग नही । | भीतरी भागों में आसानी से साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। बीमार लोगो को जल्द मेडिकल मदद मिल सकती है । | करना, सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना । |
| **जल**<br>नाला<br>तालाब<br>एनिकट<br>नहर<br>कुआं<br>बोरवेल<br>हैंड पंप | गर्मी में कुएं, हैंडपंप, तालाब और बोरवेल का पानी समाप्त प्राय हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना । सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना । | कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, बरसात के पानी को रोकने के लिए हर घर में एक टंकी का निर्माण करवाना । बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए जिससे सिचाई और शुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। बोरवेल का उपयोग कम करके कुओ से पानी निकालना । ताकि जल स्तर एकदम से नीचे न जाये । गाँव सभा में इसके लिए प्रस्ताव लेना । | पंचायत द्वारा पानी की कमी से निपटने की कोई कार्य योजना नहीं होना । जल संरक्षण के प्रति गाँव के लोगों में खास रूचि ना होना या मुद्दे के प्रति उदासीनता । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **आजीविका के साधन** | गाँव में रोजगार के लिए सिर्फ खेती और नरेगा ही है । रोजगार के साधनों का अभाव। उन्नत बीज और उन्नत कृषि तकनीक के अभाव में उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। | गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलु उद्योग भी किये जा सकते है। | गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी। |
| **भूमि** | गाँव की खाली पड़ी जमीन का प्रयोग नहीं होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना । | खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना। | सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव। |

- **नजरिया नक्शा**

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

| प्रस्तावित कार्य | संख्या |
|---|---|
| पेंशन सम्बंधि प्रस्ताव | **5** |
| आवास सम्बंधि प्रस्ताव | **22** |
| शौचालय सम्बंधि प्रस्ताव | **4** |
| चेकडेम सम्बंधि प्रस्ताव | **29** |
| एनिकट मरम्मत सम्बंधि प्रस्ताव | **2** |
| नया हैंडपंप खुदवाने सम्बंधि प्रस्ताव | **25** |
| **केटेगरी 4 के कार्य** | |
| खेत तलावडी सम्बंधि प्रस्ताव | **8** |
| पशुबाड़ा निर्माण सम्बंधि प्रस्ताव | **45** |
| कुआ गहरीकरण सम्बंधि प्रस्ताव | **40** |
| नया कुआ सम्बंधि प्रस्ताव | **4** |
| खेत तलावडी सम्बंधि प्रस्ताव | **85** |
| मेडबंदी सम्बंधि प्रस्ताव | **12** |

**गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -**

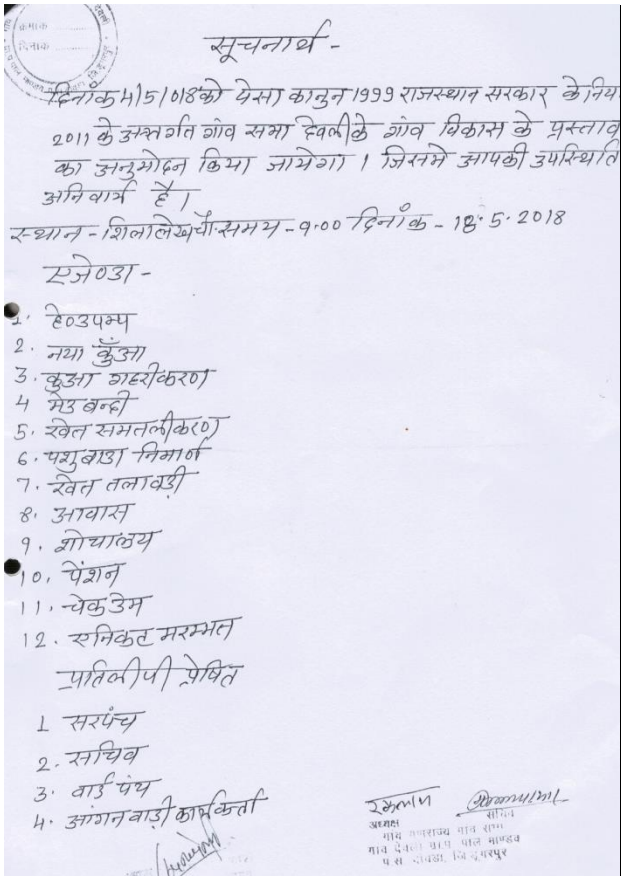



सूचनार्थ -

दिनांक 14/5/018 को पेसा कानुन 1999 राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अन्तर्गत गांव सभा देवली के गांव विकास के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जायेगा। जिसमे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

स्थान - शिलालेख चौ समय - 9.00 दिनांक - 18.5.2018

एजेण्डा -

1. हेण्डपम्प
2. नया कुँआ
3. कुआ गहरीकरण
4. मेड बन्दी
5. खेत समतलीकरण
6. पशुबाडा निमार्ण
7. खेत तलावडी
8. आवास
9. शोचालय
10. पेंशन
11. चेकडेम
12. एनिकट मरम्मत

प्रतिलीपी प्रेषित

1. सरपंच
2. सचिव
3. वार्ड पंच
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

अध्यक्ष
गांव गणराज्य गांव सभा
गांव देवली ग्रा.पं. पाल माण्डव
पं.स. दोवड़ा, जि.डूंगरपुर

सचिव



सेवामें,

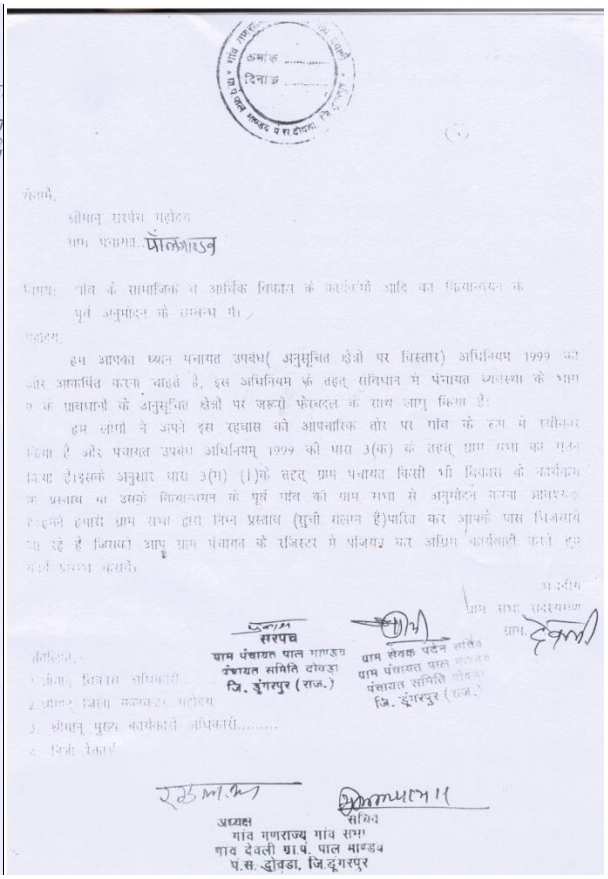

श्रीमान् सरपंच महोदय

ग्राम पंचायत पॉलमाण्डव

विषय: गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को आपचारिक तोर पर गांव के रुप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम देवली

सरपंच
ग्राम पंचायत पाल माण्डव
पंचायत समिति दोवड़ा
जि. डुंगरपुर (राज.)

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत पाल माण्डव
पंचायत समिति दोवड़ा
जि. डुंगरपुर (राज.)

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी.....
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

अध्यक्ष
गांव गणराज्य गांव सभा
गाव देवली ग्रा.पं. पाल माण्डव
पं.स. दोवड़ा, जि.डूंगरपुर

सचिव

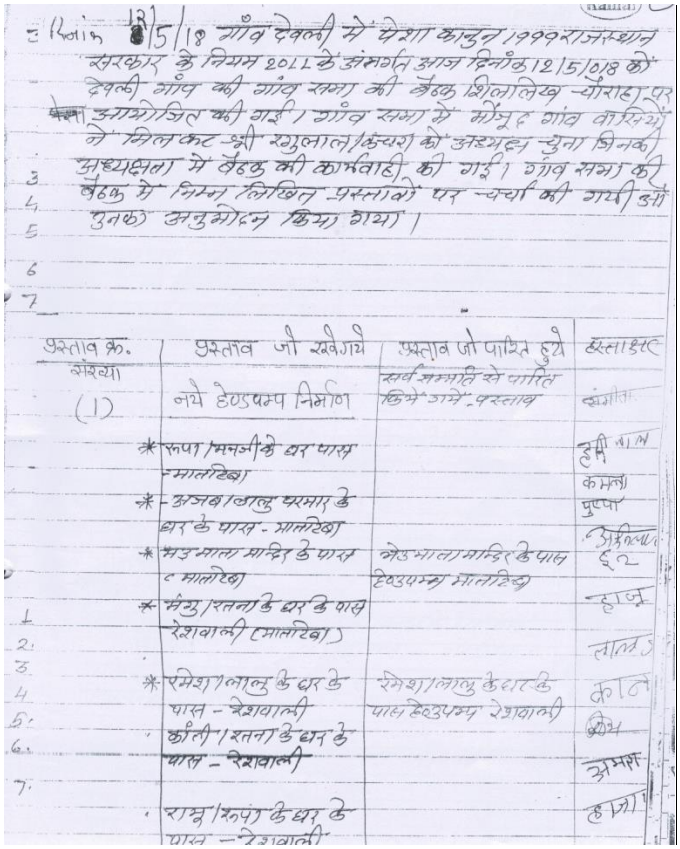

दिनांक 12/5/18 गाँव देवली मे पेशा कानुन 1999 राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनाँक 12/5/018 को देवली गाँव की गांव सभा की बैठक शिलालेख चौराहा पर आयोजित की गई। गाँव सभा मे मौजूद गांव वासियों ने मिल कर श्री रगुलाल/कचरा को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक मे निम्न लिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गयी औ उनको अनुमोदन किया गया।

| प्रस्ताव क्र. संख्या | प्रस्ताव जो रखेगये | प्रस्ताव जो पारित हुये | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| (1) | नये हेण्डपम्प निर्माण | सर्व सम्मति से पारित किये गये प्रस्ताव | संगीता |
| | * रूपा/मनजी के घर पास - मालटिबा | | हीरालाल |
| | | | कमला |
| | * अजबा/लालु परमार के घर के पास - मालटिबा | | पुष्पा |
| | * भेरुमाला मन्दिर के पास - मालटिबा | भेरुमाला मन्दिर के पास हेण्डपम्प मालटिबा | अखिलाल |
| | | | द2 |
| | * मंगु/रतना के घर के पास रेशवाली (मालटिबा) | | हाजू |
| | | | लाल |
| | * रमेश/लालु के घर के पास - रेशवाली | रमेश/लालु के घर के पास हेण्डपम्प रेशवाली | कान्ति |
| | कांती/रतना के घर के पास - रेशवाली | | [illegible] |
| | | | अमरा |
| | राम्र/रूपा के घर के पास - रेशवाली | | हजा |

| | | |
|---|---|---|
| | राजा/देवा कन्थला | |
| | मोहन/अरजी कन्थाला | मोहन/अरजी कन्थाला चेक डेम |
| | लक्ष्मण/इरजी - " - | |
| | हांका/कचरा देवली नाल | |
| | नरेन्द्र/कचरा देवली नाल | नरेन्द्र/कचरा देवलीनाल चेक डेम |
| | महेन्द्र/डुरमा सेबलवा | |
| | नारायण/हाकरा - " - | महेन्द्र/डुरमा सेबलवा चेक डेम |
| | शंकर/हीरा - " - | |
| | सवा/बदा गेरडिया | सवा/बदा गेरडिया चेक डेम |
| | शवजी/सोमा सिरा | |
| | जीवा/रामचन्द सिरा | शवजी/सोमा सिरा चेक डेम |
| | महेश/लक्ष्मण | |
| | शंकर/इरजी पानीदरा | |
| | भरता/नारायण - " - | |
| | रमेश/जीवा - " - | |
| | तुलसीराम/रतना - " - | |
| | शंकर/मोहन आमलीया | |
| | लक्ष्मण/गोलजी आमलीया | |
| | रामा/पुंजा आमलीया | |
| प्रस्ताव सं. 12 | एनिकट मरम्मत कार्य गांव देवली | |
| 1. | रगुलाल/कचरा के घर के पास नि एनिकट सीपेज | देवली रगुलाल/कचरा के घर के पास एनिकट का निर्माण कार्य देवली |
| 2. | कन्डाबारी एनिकट सीपेज भालोरिया | कन्डाबारी एनिकट रिपेयर व सिपेज बन्द करना |

**विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)**

1. हाजा भाई
2. मणिलाल परमार 09166386088
3. रघुलाल 09571031512
4. कमजी भाई